देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 86 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...
लॉकडाउन मजबूरी का विकल्प

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

मौसम अधिकतम 35.0° न्यूनतम 25.0°

42243.40

2 इजरायल ने बनाई ऐसी तकनीक

7 पंत व जडेजा को हुआ नुकसान

कोविड से मौत पर मुआवजा देना होगा

केंद्र ने झाड़ा पल्ला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई NDMA ऐक्ट की एक धारा की याद

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है। उसने आज एक अहम आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऐक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि हम कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने के मामले में एनडीएमए को निर्देश देते हैं कि वह गाइडलाइंस तय करे ताकि न्यूनतम पैमाने के तहत राहत मिले। हम नैशनल अथॉरिटी पर छोड़ते हैं कि वह उचित रकम मुआवजे के लिए तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि कोविड से मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान उसमें तारीख और मौत का कारण कोविड लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर परिजन संतुष्ट नहीं हैं तो मौत का कारण सही करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं।

फंड की कमी बता केंद्र ने झाड़ लिया था पल्ला

केंद्र सरकार ने अपनी एफिडेविट में कहा है कि कोविड से मौत में परिजनों को मुआवजा देना उनके वित्तीय क्षमता के बाहर है और केंद्र एवं राज्य सरकारें गंभीर आर्थिक परेशानी में हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि मसला ये नहीं है कि आर्थिक परेशानी है या फंड की कमी है बल्कि केस ये है कि फंड का सही इस्तेमाल कैसे हो।

सरकार की दलील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए अपनी गाइडलाइंस में कोविड से मौत के मामले में न्यूनतम मुआवजा राशि देने की सिफारिश करे। ध्यान रहे कि कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 का प्रावधान अनिवार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा-12 की भावना पर दिया स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 के तहत एनडीएमए की विधायी जिम्मेदारी है कि वह गाइडलाइंस तैयार करे और राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पीड़ितों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि के लिए सिफारिश करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा-12 में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब अनिवार्य है। सुको ने केंद्र के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि वह अमुक मुआवजा राशि का भुगतान करे। सुको ने एनडीएमए से कहा है कि वह छह हफ्ते में कोविड से मौत के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाए और न्यूनतम मुआवजा राशि के भुगतान की सिफारिश करे।

याचिका पर सरकार से सवाल

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल और एक अन्य याची ने कहा है कि कोविड से होने वाली मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या पीएम की अगुवाई वाली एनडीएमए ने ये फैसला लिया है कि कोविड से मौत के मामले में परिजनों को चार लाख रुपये मुआवजा नहीं दिया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या कोविड से मरने वालों के परिजनों के मन में किसी तरह का मलाल दूर करने के लिए समान मुआवजा योजना तैयार करने पर विचार किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

कुलगाम में एनकाउंटर, दो आतंकवादी ढेर, एक का सरेंडर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षाबलों ने बुधवार को एनकाउंटर के बाद दो आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एक अन्य आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। आधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इलाके में गहन जांच की जा रही है।

कोर्ट ने रामदेव के इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। बाबा रामदेव की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है। अब मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।

असम और मिजोरम में बढ़ा सीमा विवाद

दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

आइजोल/हैलाकांडी। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के चलते तनाव एकबार फिर बढ़ गया है। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने एक-दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम ने बुधवार को असम पर कोलासिब जिले में उसकी जमीन का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जिसके साथ दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद और बढ़ गया है।

वहीं असम के अधिकारियों और विधायकों ने मिजोरम पर राज्य में हैलाकांडी में दस किलोमीटर भीतर संरचनाओं के निर्माण और सुपारी व केले के पौधे लगाने का आरोप लगाया है। यह विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि वह सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समझौता करने के लिए काम कर रहे हैं।

वहीं कोलासिब जिले के पुलिस अधीक्षक वनलालफाका राल्ते ने कहा कि असम के हैलाकांडी जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सौ से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी मिजोरम के इलाके में घुस आए हैं और मंगलवार से वहां डेरा डाले हुए हैं।

राल्ते ने कहा कि यह इलाका मिजोरम का है और असम के करीमगंज जिले की सीमा से लगे कोलासिब के वैरेंगते गांव से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। कोलासिब जिले के पुलिस अधीक्षक वनलालफाका राल्ते के मुताबिक इस इलाके को स्थानीय स्तर पर ऐतलांग नदी के स्रोत के तौर पर जाना जाता है।

इलाका पुरातन समय से मिजोरम का हिस्सा

अधिकारी ने कहा कि वैरेंगते के निवासी इस इलाके में खेती करते हैं। यह इलाका पुरातन समय से मिजोरम का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मिजोरम के तीन जिले (आइजोल, कोलासिब और ममित) और असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये एक दूसरे के साथ लगभग 164.6 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद पुराना है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए सन 1995 के बाद से कई वार्ताएं हुई हैं लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ है।

एक्टिव केस भी हुए कम और बढ़ा रिकवरी रेट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। भारत में अब हर दिन मिल रहे कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आती जा रही है। देश भर में 24 घंटों के दौरान 50 हजार से कम नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही देश में रिकवरी रेट में भी सुधार दिख रहा है। अभी देश में सक्रिय मामलों में कमी आई है जिसके बाद वर्तमान में 5,37,064 केस हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिकवरी रेट 96.92 फीसद बताई गई है जो राहत की खबर है। मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.77 फीसद हैं और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34 फीसद है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 45,951 नए मामले आए और 817 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,03,62,848 हो गया है और मृतकों की संख्या 3,98,454 हो गई है। वहीं 24 घंटों के भीतर कोरोना को मात देने वालों की संख्या 60,729 है। उल्लेखनीय है कि अब तक देश में 2,94,27,330 लोग कोरोना को हरा चुके हैं।

राहत

■बीते 24 घंटों में आए 45,951 संक्रमण के मामले

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 36,51,983 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33,28,54,527 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 41,01,00,044 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं जिसमें से 19,60,757 सैंपल की टेस्टिंग केवल मंगलवार को की गई।

पूरी दुनिया की बात करें तो जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, बुधवार सुबह तक रिकॉर्ड किए गए कोरोना संक्रमण के कुल वैश्विक मामले 181,750,422 है और मृतकों की कुल संख्या 3,936,463 हो चुकी है। की मौत हो गई।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Gadoli Media Ventures
Contact: Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

भारत में ट्विटर की बढ़ी मुश्किलें

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर सभी अश्लील सामग्री को मंच से हटाने के लिए कहा है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी मामले की जांच करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। महिला आयोग के पैनल ने कहा कि एनसीडब्ल्यू ने ट्विटर पर अश्लील सामग्री साझा करने वाले कई प्रोफाइल का स्वतः संज्ञान लिया है।

ट्विटर पर अश्लील सामग्री को लेकर स्वतः संज्ञान लिया

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर मंच से ऐसी सभी अश्लील और अश्लील सामग्री को तुरंत हटाने के लिए लिखा है।

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि पहले भी इसी तरह की शिकायत मिलने पर आयोग ने तत्काल कार्रवाई के लिए मामले को ट्विटर के संज्ञान में लाया था। हालांकि, कथित तौर पर मंच द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आयोग इस बात से परेशान है कि उन्हें हटाने की दिशा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।